न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी–श्री पंकज कुमार –II, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (उ.प्र. 3652)

UPHP120023992026

Criminal Misc. Cases/91/2026

पंजीकरण संख्या–91/2026

प्रार्थनापत्र संख्या–109/2026

आनन्द चौहान बनाम भानू प्रताप आदि

धारा– 173(4)बी.एन.एस.एस.

थाना–बहादुरगढ़, जनपद हापुड़।

दिनांक–02.07.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अं०धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अं० धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर पूर्व में सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र अं० धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. आदेशार्थ हेतु नियत है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में कथन किया गया है कि प्रार्थी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ का सीधा साधा शान्तिप्रिय कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 26.05.2026 को रात के समय घर पर ही था तो बच्चों की कुछ कहा सुनी होने को लेकर भानू प्रताप उर्फ पप्पी पुत्र धनराज सिहं, अरूण पुत्र भीमा, शुभ पुत्र ललित, ब्रहमपाल पुत्र टीकम सिंह निवासीगण ग्राम पसवाडा थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड व भूवेश पुत्र होशियार सिहँ निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड करीब रात्रि 10 बजे प्रार्थी के पास अपने हाथो मे लाठी–डन्डे व सरिया लेकर आये और प्रार्थी के साथ गाली–गलौच करने लगे। प्रार्थी ने कहा कि क्या हुआ है तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो तो विपक्षीगण ने एकराय होकर प्रार्थी के घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी जिससे प्रार्थी के सिर में गम्भीर चोट आयी जिसमें प्रार्थी के सिर में कई टांके आये और प्रार्थी के शरीर में और भी काफी गम्भीर चोटे आयी है, तथा मौके पर पड़ोस के शमशाद चौधरी पुत्र अमीर अहमद व बाबूपाल पुत्र रघुवीर सिंह आदि काफी व्यक्ति आ गये जिन्होंने प्रार्थी को बचाया। विपक्षीगण प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग रहे थे तभी प्रार्थी ने 112 को फोन किया तो पुलिस को एक व्यक्ति हाथ लग गया परन्तु पुलिस ने उसे फिर छोड दिया श्रीमान जी उपरोक्त वाके की लिखित तहरीर थाना बहादुरगढ़ मे दी, थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी का मेडिकल सी.एच.सी. गढ़मुक्तेश्वर मे कराया, परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दिनांक 04.06.2026 को जनसुनवाई पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। इसके पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2026 को बजरिये डाक रजिस्ट्री एस०पी० महोदय हापुड़ को प्रेषित किया, कोई कार्यवाही न होने पर श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना बहादुरगढ़ को आदेशित कर प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कृपा करें।

3. आवेदक द्वारा अपने कथानक के समर्थन में एक किता प्रार्थनापत्रएस०पी० महोदय हापुड़ मय डाक रसीद दिनांकित 10.06.2026, एक किता दिनांक 04.06.2026 को जनसुनवाई पर प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, एक किता छायाप्रति चोटहिल का मेडिकल प्रपत्र, एक किता फोटोग्राम चोटहिल व एक किता प्रार्थी के आधार कार्ड आदि की छायाप्रति दाखिल किये गये है।

4. प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाने पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. उक्त प्रार्थनापत्र धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के निस्तारण के लिए न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनके आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाया जाता है अथवा नहीं।

7. प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध जो कथन किये हैं, उनके संबंध में प्रार्थी स्वयं ही अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और अपने मामले को साबित कर सकता है तथा प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्यों की जानकारी है, जिनकी पुलिस द्वारा किसी तथ्य अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा *सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी. पृष्ठ 739* तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माथूरी तथा अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द 2001 (सप्लीमेंटरी) ए.सी.सी. 957* में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर न्यायालय के मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। उक्त के संबंध में प्रार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 21.07.2026 को पेश हो।

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ. कोड–UP3652)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।